

फैक्ट सीट

1. परियोजना का नाम :— जनपद पौड़ी गढ़वाल में एनोएच० बैण्ड से कोठिला-खिटोटिया मोटर मार्ग का नव निर्माण। लम्बाई 10.000 कि०मी० वास्तविक लम्बाई 6.025 कि०मी०

2. प्रस्तावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है० में)

आरक्षित वनभूमि	— 0.000 है०
सिविल भूमि	— 0.945 है०
वनपंचायत	— 0.000 है०
निजि भूमि	— 5.970 है०
योग	— 6.915 है०

3. प्रस्तावक विभाग का नाम — निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० बैजरो, गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

4. वन प्रभाग का नाम — गढ़वाल वन प्रभाग (उत्तराखण्ड)

5. प्रस्ताव वाइडिंग किया गया है — हॉ

6. प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है — हॉ

7. क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग 1, 2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है। हॉ

8. क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दि० व स्थान भरा गया है — हॉ

9. प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है — हॉ

10. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/प्रमाण पत्र संलग्न है — हॉ

11. बॉज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है — हॉ

12. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावित विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है — हॉ

13. समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है — हॉ

14. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है — हॉ

15. क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है — नहीं,(परियोजना हेतु कुल आपेक्षित वन भूमि 1.000 है० से कम 0.945 है० होने के कारण लागू नहीं है)

16. क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है — नहीं

17. प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर /परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है — हॉ

18. क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है — नहीं

19. प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है — नहीं

यदि हॉ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है — नहीं

20. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है — हॉ

21. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे का निर्माण किया जाना है – (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें) नया है।
22. क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया है – हॉ
23. यदि सड़क आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है – हॉ
24. क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षक) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है – नहीं
25. यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाये –
26. सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्मावनायें/वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये हैं – हॉ
27. वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारुण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाये) संलग्न है
28. लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है – (5 हौं से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा) आपेक्षित वनभूमि 5 हौं से कम है
29. मानचित्र व बार चार्ट में एकरूपता है – हॉ
30. मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है – हॉ

अथवा

- मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है – हॉ
31. राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है – हॉ
32. क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियों मूल में संलग्न हैं यदि छायाप्रतियों संलग्न की गई हैं तो क्या वे सत्यापित हैं – हॉ
33. यदि वनभूमि लीज पर दी जानी है तो लीज-अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न है – लीज पर नहीं दी जानी है
34. वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है – हॉ
35. क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है :– हॉ
36. क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्र संलग्न हैं – हॉ

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट शीट पर चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण पत्र/सूचनायें संलग्न कर दी गई हैं।

हस्ताक्षर

(प्रदीप बहुखण्डी)
अधिकारी अधिकारी
निर्माण खण्ड, लो०निर्विधि

हस्ताक्षर

(लक्ष्मण सिंह रावत)
प्रमाणीय वनाधिकारी